GOVT DIGVIJAY AUTONOMOUS PG COLLEGERAJNANDGAON(CG)

SESSION - 2023-24

6.2.2 :- functioning of the various institutional bodies is effective and efficient as visible from the policies, administrative set -up, appointment and service rules, procedures, etc.



Principal

Govt. Digvijay Auto. PG College, Rajnandgaon, CG

Appointment / Service Rule

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुरक के सगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छलीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिताई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीवन क्रमांक ''छल्तीसनद/दुर्ग/89/2013-2015.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 जनवरी 2019 — पौष 26, प्रक 1940

उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अदल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 16 जनवरी 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-12/2013/38-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छल्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छल्तीसगढ़ उच्च श्विक्षा विभाग (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित) सेवा के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

- संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.- (1) ये नियम छल्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित) भर्ती नियम, 2019 कहलायेंगे।
 - (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
 - (ख) "आयोग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;
 - (ग) "समिति" से अभिग्रेत हैं चयन समिति या विभागीय पदोन्नित समिति, जैसा कि अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट है;
 - (घ) "परीक्षा" से अभिग्रेत हैं इन नियमों के नियम 11 के अधीन आयोजित प्रतियोगी परीक्षा:
 - (ङ) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ शासन;
 - (च) "राज्यपाल" से अभिग्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;
 - (छ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य ज्ञासन द्वारा समय-समय पर यथा संज्ञोधित अधिसूचना क्रमांक एफ़-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग:

- (ज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (झ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है मारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;
- (ञ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;
- (ट) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित);
- (ठ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।
- (ड) दिव्यांगजन से अभिप्रेत है,-
 - (1) ऐसा व्यक्ति, जो दृष्टिहीन हैं, यदि वह निम्निखित दशाओं में से किसी एक से ग्रस्त हो :--
 - (एक) दृष्टि का पूर्णतः अभाव हो;
 - (दो) बेहतर आंख में परिषांधी लेंस से दृष्टिगत तीक्ष्णता 6/60 या 20/200 (सैलन) से अधिक न हो, या
 - (तीन) सामने की दूर दृष्टि का क्षेत्र 20 अंश के कोण तक सीमित हो या उससे कम हो।
 - (2) ऐसा व्यक्ति जो बहरा हो, यदि उसमें दैनिक प्रयोजन के लिये अपेक्षित श्रवण संवेदना का अभाव हो, यहां तक कि वह विस्तारित आवाज को भी बिल्कुल सुन या समझ नहीं सकते । ऐसे व्यक्ति इस प्रवर्ग में शामिल होंगे, जिनमें सुनने का ह्यास बेहतर कान में 80 डेसिबल से अधिक (अधिकतम कमी) हो या दोनों कानों में सुनने का पूरा ह्यास हो।
 - (3) उन व्यक्तियों को शारीरिक अशक्तता से ग्रसित समझा जायेगा, जिनमें ऐसा कोई शारीरिक दोष या विकृति हो, जिससे शरीर में हड्डियों, मांस पेशियों या जोड़ो की सामान्य कियाशीलता में बाधा पहुंचती हो।
- (ढ) "नेट" से अभिप्रेत है यूजीसी/सीएसआईआर द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा;

- (ण) "सेट/स्लेट" से अभिप्रेत है राज्य पात्रता परीक्षा, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संचालित अथवा 02.06.2002 को या उसके पूर्व किसी अन्य राज्य द्वारा संचालित सेट/स्लेट परीक्षा।
- विस्तार तथा लागू होना.— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम,
 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।
- 4. सेवा का गठन.- सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात:-
 - (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनूसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;
 - (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों;और
 - (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों।
- 5. वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि.— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची—एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगेः

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

- 6. भर्ती का तरीका.— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्निलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात:—
 - (क) चयन (प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार) के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा;
 - (ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नित द्वारा:
 - (ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये; और

- (घ) शासन द्वारा किसी महाविद्यालय को लिए जाने के पश्चात्, नियम 17 में विहित प्रक्रिया के अनुसार आमेलन द्वारा ।
- (2) उप-नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची-दों में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।
- (3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालाविध के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी।
- (4) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, आयोग से परामर्श पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे।
- (5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।
- 7. सेवा में नियुक्ति.— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, शासन द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।
- सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्ते.— सीधी भर्ती / चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होंगी, अर्थात:—

- (एक) आयु— (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है. की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची—तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;
 - (ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
 - (ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
 - (घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:—
 - (एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;
 - (दों) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद घारण कर रहा हों तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हों, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।
 - (तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु

इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

- (ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो "भूतपूर्व सैनिक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्निलेखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आयेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात:—
 - (एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;
 - (दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो,और जिन्हें—
 - (क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर

- (ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो:
- (तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं);
- (चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;
- (पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;
- (छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;
- (सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।
- (च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति / पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (छ) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।
- (झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए

- छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (ञ) सहायक प्राध्यापक / ग्रंथपाल / कीड़ाधिकारी के पद में भर्ती के लिये शासकीय सेवा में प्रवेश करने हेतु उपरोक्त किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के आधार पर छूट प्रदान करने के उपरांत अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (ट) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे। टीप—(1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें नियम 8 के खण्ड (एक) के उप—खण्ड (घ) के पैरा (एक) एवं (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।
 - (2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।
- (दो) शैक्षणिक अर्हताएं अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित शैक्षणिक अर्हताएं होना चाहिए, जैसा कि अनुसूची—तीन में दर्शित है: परन्तु —
 - (1) आपवादिक मामलों में, आयोग, शासन की सिफारिश पर, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इस खंड में विहित की गई अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो, जिसके कारण आयोग अभ्यर्थी का परीक्षा/चयन में सम्मिलित किया जाना न्यायोचित ठहराता हो; और,

- (2) ऐसे अम्यर्थियों को, जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों से, जो ऐसे विश्वविद्यालय है, जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई हैं, आयोग के विवेकानुसार परीक्षा/चयन हेतु शामिल किये जाने के लिये विचार किया जा सकेगा।
- (तीन) फीस:- (क) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा यथा विहित फीस का भुगतान करना होगा।
 - (ख) उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें चिकित्सा मंडल के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किया गया हो, चिकित्सीय परीक्षा के पूर्व चिकित्सा मंडल के अध्यक्ष को ऐसी फीस का भुगतान करना होगा, जैसा कि शासन द्वारा विहित की जाए।
- 9. निर्हता.— (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा परीक्षा/चयन हेतु शामिल होने के लिये निरहिंत माना जायेगा।
 - (2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

- (4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।
- (5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे नैतिक अधोपतन से संबंधित किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

- (6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।
- 10. अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.— (1) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
 - (2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेओं में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निर्राहित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, आयोग द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।
- 11. चयन (प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार) के माध्यम से सीधी भर्ती.— (1) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जायेगी, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से, समय—समय पर अवधारित करे।

अवधारित किया जाये।

- (2) प्रतियोगी परीक्षा, ऐसे पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना तथा निर्देशों के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित की जायेगी, जैसा कि शासन द्वारा आयोग के परामर्श से समय—समय पर जारी किया जाये। आयोग, यदि उचित समझे, शासन के परामर्श से इस सेवा या किसी अन्य सेवा में भर्ती के लिये संयुक्त परीक्षा आयोजित करेगा।

 (3) सेवा में अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से की जायेगी, जैसा कि आयोग द्वारा
- (4) सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंध तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस अधिनियम के अधीन समय—समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।
- (5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पदों को आरक्षित रखा जायेगा। यह आरक्षण समस्तर और प्रभागवार होगा। उक्त उपबंध के अध्यधीन रहते हुये नियुक्तियों में विधवा अथवा तलाकशुदा महिला को अधिमान दिया जायेगा।
- (6) उपरोक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन/भृतपूर्व सैनिकों के लिये पदों को, शासन द्वारा समय-समय पर बनाये गये अधिनियम/नियम/जारी किये गये आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।
- (7) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।
- (8) उपरोक्त के अतिरिक्त, अभ्यर्थी, जो महिला/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक हैं और जिनका आरक्षण के फलस्वरूप चयन किया गया है, की नियुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

- (१) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा नियुक्ति के लिये पात्र घोषित किया गया हो, को उप-नियम (७) के अनुसार, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।
- (10) ऐसे मामलों में, जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालाविध का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और शासन की राय में यह पाया जाता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो शासन, आयोग से परामर्श पश्चात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।
- 12. आयोग द्वारा अनुशंसित अन्यर्थियों की सूची.— (1) आयोग, उन अन्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों एवं प्रत्येक प्रवर्ग के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों की, जो महिला/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक के प्रवर्ग में आरक्षण के फलस्वरूप चयनित किये जायें, उनके मेरिट क्रम से सूची तैयार करेगा तथा शासन को अग्रेषित करेगा, जिसकी नियुक्ति हेतु वैधता, शासन को सूची के भेजे जाने की तिथि से एक वर्ष की होगी।
 - (2) उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये आयोग की वेबसाइट पर अधिसचित की जायेगी।

(3) आयोग द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिये प्रत्येक प्रवर्ग हेतु एक चयन सूची तैयार की जायेगी, ऐसे प्रवर्गों के लिये एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25 प्रतिशत तक नाम सम्मिलित होंगे। सूची की वैधता, ऐसी चयन सूची के जारी होने की तिथि से डेढ वर्ष की होगी।

> स्पष्टीकरण— प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों की 25 प्रतिशत तक आंकलन करने के लिए, इसे पूर्णांक में लाने हेतु, अंक को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जायेगा।

- (4) आयोग, उप-नियम (1) एवं (3) के अधीन तैयार की गई चयन सूची, शासन को नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगा। तथापि, प्रतिक्षा सूची से नियुक्ति, आयोग की सहमति के बिना नहीं की जा सकेगी।
- (5) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।
- (6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का ऐसी जांच करने के पश्चात, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (7) कोई अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, वैधता अविध में कार्यभार ग्रहण न करने या त्यागपत्र देने या किन्ही कारणों से वह अयोग्य पाये जाने पर या वैधता अविध के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अनुशांसित किये जा सकेंगे।
- (8) यदि प्रतिक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम भेजे जाने के लिये शासन से अनुरोध प्राप्त होता है तो आयोग, उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची से नाम, अनुशंसित करेगा तथा इसे शासन को भेजेगा।

- (9) शासन से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् आयोग, शासन को विधिमान्य कारणों का कथन करते हुए अधिकतम 6 माह के लिये चयन सूची की वैधता अविध में वृद्धि कर सकेंगा।
- (10) चयन सूची की वैधता अविध में 6 माह की वृद्धि किए जाने पर, प्रतीक्षा सूची की वैधता अविध में 6 माह की स्वतः वृद्धि होना माना जायेगा।
- (11) उप—िनयम (9) एवं (10) के अधीन तैयार की गई चयन सूची की वैधता में, आयोग द्वारा तब तक कोई वृद्धि नहीं की जायेगी, जब तक कि शासन, युक्तियुक्त कारण का कथन करते हुए वृद्धि करने हेतु कोई अनुशंसा नहीं करता।
- 13. पदोन्नित द्वारा नियुक्ति.— (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नित हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची—चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस उप-नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जाएगा।

- (2) सिमिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक न हो।
- (3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार होगी।
- (4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नित करने हेतु प्रक्रिया, उप-नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन— नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नित आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन्

1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

14. पदोन्नित के लिये पात्रता की शतें.— (1) उप—नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नित की जानी है जैसा कि अनुसूची—चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची—चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप—नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण— पदोन्नित के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति— संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नित समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक, फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

- (2) (एक) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नित विरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर या अनुपयुक्त व्यक्ति को छोड़कर विरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गों के लिए विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर विरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो की प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति / पदोन्नित के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए प्रयाप्त होगी।
 - (दो) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नित योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) आधार पर की जानी हो वहां विचारण क्षेत्र, कुल रिक्त

पदों के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवक पदोन्नित के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो विचारण क्षेत्र में कुल रिक्त पदों के 7 गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचारण क्षेत्र में आये आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचारण क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त तथा पदोन्नित के कारण प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

- (3) उप-नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के नाम चयन सूची में सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।
- (4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नित की जायेगी।
- (5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, 2003 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश पदोन्नित हेतु लागू होंगे।
- 15. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.— (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 13 एवं 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नित के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नित के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि के दौरान होने वाले अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि के दौरान होने वाले अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से 1 एवं न्यूनतम 25 प्रतिशत तक नाम सम्मिलित होंगे।

- (2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।
- (3) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा।
- (4) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण में, सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित है, तो यथास्थिति, समिति, प्रस्तावित अवक्रमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।
- 16. आयोग से परामर्श.— (1) नियम 15 के अनुसार तैयार की गई सूची, शासन द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयोग को भेजी जायेगी:—
 - (एक) सूची में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों के अभिलेख।
 - (दो) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित समस्त ऐसे सदस्यों के अभिलेख, जिसका सूची में यथा अनुशंसित अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित है।
 - (तीन) अनुसूची—चार के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सेवा के किसी सदस्य के प्रस्तावित अवक्रमण के लिए समिति के लेखबद्ध कारण।
 - (चार) समिति की अनुशंसाओं पर शासन की टिप्पणियां।
 - (2) यदि पदोन्नित समिति में आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य, जो अध्यक्ष/आयोग द्वारा नामांकित किया गया हो, उपस्थित रहे हों तथा यदि बैठक की कार्यवाही विवरण पर, अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों तो उप-नियम (1) के अधीन उपर्युक्त कार्यवाही अपेक्षित नहीं होगी तथा यह माना जायेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप-खण्ड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श करने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया है तथा आयोग के साथ पृथक परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होगीं।
 - 17. आमेलन द्वारा भर्ती.— (1) शासन द्वारा, कार्यभार ग्रहण किये गए अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल और क्रीडाधिकारी का आमेलन, छानबीन समिति द्वारा प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण

करने के उपरांत, की गई उनकी अनुशंसा पर किया जाएगा। समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :--

- (एक) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य;
- (दो) प्रमुख सचिव / सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन;
- (तीन) आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन;
- (चार) सरकारी रनातकोत्तर महाविद्यालयों के दो प्राचार्य, जिन्हें शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे;
- (पांच) यदि उपरोक्त (एक) से (चार) तक में अजा / अजजा वर्ग का कोई सदस्य न हो, तो इस प्रवर्ग से न्यूनतम एक सदस्य, शासन द्वारा नामांकित किया जायेगा।
- (2) छानबीन समिति, समुचित पदों पर आमेलन के लिए उसे निर्दिष्ट मामलों के बारे में निम्नलिखित आधारों पर सिफारिश करेगी :--
- (एक) वे समस्त व्यक्ति, जिन्हें छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा अनुदान आयोग के प्रारंभ के पूर्व, शासन द्वारा कार्य-भार ग्रहण किए गए निजी महाविद्यालयों में संबंधित विश्वविद्यालय की महाविद्यालयीन संहिता में दिए गए उपबंधों के अनुसार नियमित नियुक्ति के रूप में भर्ती किया गया था;
- (दो) छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1967 एवं छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालय शाखा) भर्ती नियम, 1990 के प्रारंभ होने के पश्चात्, भर्ती किया गया ऐसा कोई व्यक्ति, जो उक्त नियमों में विहित न्यूनतम अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है, आमेलित नहीं किया जाएगा;
- (तीन) किसी व्यक्ति को आमेलित नहीं किया जाएगा, यदि उसे पूर्व में किसी भी समय शासकीय या किसी अन्य सेवा में साबित हुए अवचार और/या दाण्डिक अपराध के कारण हटाया गया हो या पदच्युत किया गया हो;
- (चार) किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा, यदि उसने आमेलन के समय प्रवृत्त शासकीय नियमों के अनुसार अधिवार्षिकी आय प्राप्त कर ली हो:

- (पांच) किसी व्यक्ति को, जो राज्य सरकार द्वारा, कार्यभार ग्रहण किए गए किसी अशासकीय महाविद्यालय में रिजस्ट्रार या ग्रंथपाल या कीड़ाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो या उस रूप में पद धारण कर रहा हो, तब तक शासकीय सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा, जब तक कि नियुक्ति के समय ऐसा व्यक्ति न्यूनतम् अपेक्षाओं की पूर्ति न करता हो या ऐसी अर्हताएं धारण न करता हो, जो राज्य शासन द्वारा लिखित आदेश द्वारा अधिकथित की जाए:
- (छः) किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति को, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा नियमित नियुक्ति के रूप में अनुमोदित नहीं की गई हैं।
- (3) (एक) किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में उस पद से उच्च पद पर आमेलित नहीं किया जाएगा, जिस पर कि वह शासन द्वारा महाविद्यालय के कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व कर कार्य रहा था;
 - (दो) स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में आमेलन किये जाने के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो शासन द्वारा कार्यभार ग्रहण किये गए किसी महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहा हैं, इस नियम में विहित अन्य शर्तों के अतिरिक्त, यह आवश्यक है कि उसे न्यूनतम 14 वर्ष का अध्यापन का अनुभव हो जिसमें से तीन वर्ष का अध्यापन का अनुभव स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन का हो और दो वर्ष का अध्यापन का अनुभव प्राच्यापक के रूप में हों, स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर आमेलन के लिए, उपरोक्त के अतिरिक्त, दो वर्ष का स्नातक महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक होगा।
- (4) इस नियम के सुसंगत उपबंधों पर विचार करने के पश्चात्, छानबीन समिति, शासन को उपयुक्त सिफारिश करेगी। समिति की सिफारिश किए जाने के पश्चात्, शासन द्वारा संबंधित व्यक्ति के आमेलन आदेश, समिति की सिफारिश के अनुसार जारी की जाएगी।

- (5) किसी विशिष्ट पद पर आमेलित व्यक्ति की वरिष्ठता, उस महाविद्यालय के अधिग्रहण तिथि से होगी।
- (6) किसी अशासकीय महाविद्यालय में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा शासकीय सेवा में उसके आमेलन पर कोई अवकाश अग्रणित किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, अशासकीय महाविद्यालय में की गई सेवा के संबंध में यदि ऐसा व्यक्ति अवकाश वेतन अभिदाय का भुगतान करता है तो उसे इस प्रकार अर्जित अवकाश को अग्रणित करने हेतु छत्तीसगढ़ अवकाश नियम में विहित निबंधनों तथा अधिकतम् सीमाओं के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जाएगा।
- (7) इस नियम के उपबंधों के अनुसार शासकीय सेवा में आमेलित कोई व्यक्ति, इस तथ्य के आधार पर कि अशासकीय महाविद्यालय द्वारा पूर्व में ही सेवा से उसे स्थायी किया जा चुका था, अधिकार के तौर पर यह दावा नहीं कर सकेगा कि उसे शासकीय सेवा में स्थायी किया जाए, ऐसे व्यक्ति का स्थायीकरण समय-समय पर प्रवृत्त शासकीय नियमों के अनुसार किया जाएगा।
- (8) इन नियमों के उपबंधों के बारे में यही और सदैव यही समझा जाएगा कि वे 1 जनवरी 1971 से प्रवृत्त हुए हैं।
- (9) शासन द्वारा, कार्यभार ग्रहण किए गए अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल तथा कीड़ाधिकारी, जिसकी नियुक्ति, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा नियमित नियुक्ति के रूप में अनुमोदित की गई थी, किन्तु जिन्हें छानबीन समिति द्वारा किसी भी कारण से शासकीय सेवा में आमेलित किए जाने हेतु अग्रहीत (अस्वीकार) किया गया था उस पद पर जिसे वे धारित किये थे, तदर्थ और अस्थायी आधार पर समाप्त होने वाली कैंडर (डाइंग कैंडर) के रूप में बने रहेंगें, किन्तु उन्हें शासकीय सेवा में उस रूप में वरिष्ठता पदोन्नति, वार्षिक वेतन वृद्धि तथा वेतनमान पुनरीक्षण के लाम प्राप्त नहीं होंगे।
- 18. चयन सूची.— (1) आयोग, शासन से प्राप्त दस्तावेजों के साथ—साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा, यदि उसकी राय हो कि इसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है तो वह सूची को अनुमोदित करेगा।

- (2) यदि आयोग, शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझता है तो आयोग, प्रस्तावित परिर्वतनों के संबंध में शासन को सूचित करेगा तथा इस पर विचार करने के पश्चात यदि शासन कोई मत प्रकट करे तो ऐसे मत पर ध्यान देते हुए, ऐसे उपांतरणों सहित, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हो, सूची को अनुमोदित करेगा।
- (3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची अनुसूची—चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची—चार के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित पदों पर सिविल सेवाओं के सदस्यों की पदोन्नति के लिये अनुमोदित चयन सूची होगी।
- (4) चयन सूची सामान्यतः इसकं तैयार किये जाने की तारीख से 31 दिसंबर तक विधिमान्य रहेगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के अनुरोध पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और आयोग, यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

- 19. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.— (एक) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।
 - (दों) साधारणतः उस अधिकारी की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालाविध के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती

- परिवीक्षा.— (1) (क) सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।
 - (ख) परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, तो परिवीक्षा की अवधि अधिकतम 1 वर्ष तक की कालावधि के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढायी जा सकेगी।
 - (ग) परिवीक्षा की अवधि या बढ़ायी गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा अवधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय हो कि कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने के योग्य नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
 - (2) सेवा में पदोन्नित से भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि कें लिये स्थानापन्न हैसियत से नियुक्त किया जायेगा।
- 21. निर्वचन.— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।
- 22. शिथिलीकरण.— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

23. निरसन एवं व्यावृत्ति.— (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी। (2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय—समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

> छलीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेन्द्र कुमार जावसवाल, सचिव.

अनुसूची—एक (नियम ४ एवं 5 देखिये)

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आयुक्त, उच्च शिक्षा	01	प्रथम श्रेणी	37,000—67,000 + ए.जी.पी. 10,000
2.	प्राचार्य — स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	58+8	प्रथम श्रेणी	37,400-67,000 + ए.जी.पी. 10,000 + विशेष वेतन 3000
3.	प्राचार्य, स्नातक महाविद्यालय, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा तथा राज्य सम्पर्क अधिकारी (राष्ट्रीय सेवा योजना)	187+6	प्रथम श्रेणी	37,400—67,000 + ए.जी.पी. 10,000 + विशेष वेतन 2000
4.	प्राध्यापक एवं उपसंचालक, उच्च शिक्षा	592+6	प्रथम श्रेणी	37,400-67,000 + ए.जी.पी. 10,000
5.	पदोन्नत प्राध्यापक	संख्या निर्घारित नहीं	प्रथम श्रेणी	37,400-67,000 + ए.जी.पी. 10,000
6.	सह-प्राध्यापक	संख्या निर्घारित नहीं	प्रथम श्रेणी	37,400—67,000 + ए.जी.पी. 9,000

7.	(क) सहायक प्राध्यापक	3855	द्वितीय श्रेणी	15,600-39,100 +
				ए.जी.पी. 6,000
	(ख) सहायक प्राध्यापक (रू. 6000 से अधिक ए.	-	प्रथम श्रेणी	15,600-39,100 +
	जी.पी.)			ए.जी.पी. 7,000
				15,600-39,100 +
				ए.जी.पी. 8,000
				37,400-67,000 +
				ए.जी.पी. 9,000
8.	(क) क्रीड़ा अधिकारी	116	द्वितीय	15,600—39,100 + ए.जी.पी. 6,000
			श्रेणी	
	(ख) क्रीड़ा अधिकारी	1/2	प्रथम	15,600-39,100 +
	(स. 6000 से अधिक		श्रेणी	ए.जी.पी. 7,000
	ए.जी.पी.)			15,600—39,100 + ए.जी.पी. 8,000
				37,400-67,000 + ए.जी.पी.
10				9,000
9.	(क) ग्रंथपाल	125	द्वितीय	15,600-39,100 + ए.जी.पी. 6,000
			श्रेणी	
+	(ख) ग्रंथपाल (रू. 6000 से अधिक	_	प्रथम	15,600-39,100 + ए.जी.पी. 7,000
	(ल. 6000 स आयक ए.जी.पी.)		श्रेणी	15,600-39,100 + ए.जी.पी. 8,000
				37,400-67,000 + ए.जी.पी.
				9,000

अनुसूची—दो (नियम 6 देखिये)

स.क	सेवा /पद का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या			टिप्पणियां	
			सीधी मर्ती द्वारा (नियम 6(1) (क) देखिये)	पदोन्नति हारा (नियम 6(1) (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से व्यक्ति के स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम ६(१) (ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Service	1	छत्तीसगढ	शैक्षणिक सेवा	(महाविद्यालयी	न शाखा राजपत्रित)	
1.	आयुक्त, उच्च शिक्षा	01		-	100%	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय देतनगान के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति से
2.	प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं अतिरिक्त संघालक, उच्य शिक्षा	58+8		100%		राज्य संपर्क अधिकारी, उपाधि प्राचार्य के काढर में से होगा जिसे राष्ट्रीय सेवा योजना का सात वर्ष के कार्य का अनुभव हो।
3.	प्राचार्यं, स्नातक महाविद्यालयं, संयुक्तं संचालकं, उच्च शिक्षां तथा राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना	187+6		100 %		25 % सीधी भर्ती प्राध्यापक 75 % पदोन्नत प्राध्यापक
4.	प्राच्यापक और उप संचालक, चच्च शिक्षा	592	100 %			10 XX 52 30 XX
5.	पदोन्नत प्राध्यापक	संख्या निर्धारित नहीं		100 %		ये पद विभागीय पदोन्नित समिति के मध्यम से मरे जायेंगे। पदोन्नत प्राध्यापकों के ऐसे पदौ की कोई निर्धारित संख्या नहीं होगी और इन पदों की संख्या अपेक्षित ज्येष्ठता और अर्हता वाले सह— प्राध्यापकों की संख्या के आधार पर बदलती रहेगी। सह—प्राध्यापक की पद्मोन्नित अनुसूची चार में दर्गित उपबंधों के अधीन विहित सेवा कालाविध पूरी करने के परचात तथा उसमें विहित अर्हताएं की शर्ते पूर्ण करने पर सेवा अभिलेख के अनुसार की जायेगी।

6.	सह-प्राच्यापक	संख्या निर्घारित नहीं		100 %	7 6	ये पद विभागीय पदोन्नित समिति के माध्यम से भरे जायेगे। सह-प्राध्यापकों के ऐसे पदों की कोई निर्धारित संख्या नहीं होगी और इन पदों की संख्या अपेक्षित ज्येष्ठता और अईता वाले सहायक प्रध्यापकों की संख्या के आधार पर बदलती रहेगी। सहायक प्राध्यापक के पद से पदोन्नित अनुसूची चार में वर्णित उपबंधों के अधीन विहित संवा कालावधि पूरी करने के पश्चात् तथा उसमें विहित अईताएं रखने पर सेवा रिकार्ड के आधार पर की जायेगी।
7.	सहायक प्राध्यापक	3855	100 %	1773		प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, इसमें सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा।
8.	क्रीडा अधिकारी	116	100 %	- 22	_	प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, इसमें सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा।
9.	ग्रंथपाल	125	98 %	2%		(1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, इसमें सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा। (2) केवल डाइंग केंडर के सहायक ग्रंथपाल के लिये, इन अधिकारियों के पदोन्नति के पश्चात भविष्य में ये पद पदोन्नति से नहीं भरे जायेंगे।

टीप:— अनुक्रमांक 7, 8 एवं 9 में उल्लेखित पर्वो की 7000, 8000 एवं 9000 एकेडिमिक ग्रेड पे में स्थानन की प्रक्रिया, अनुसूची—चार में दी गई टिप्पणी के अनुसार होगी।

अनुसूची—तीन (नियम 8 देखिये)

स.क.	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अईता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्राध्यापक और उप संचालक, उच्च शिक्षा	31 वर्ष	45 वर्ष	(क) (एक) प्रतिष्ठित विद्वान जिसकी पी.एच.डी. में अर्हता अपन
				संबंधित / सम्बद्ध / सुसंगत विषय में प्राप्त हैं, जिनकी प्रकाशित रचना उच्च कोटि की हैं, जो कि वर्तमान में शोध कार्य में सक्तिय है तथा जिसके प्रकाशित ग्रंथ का साहर विद्यमान है तथा न्यूनतम रूप से जनकी कम से कम 10 रचनाएँ, पुस्तकों एवं / अथवा शोध / विषय से जुड़ी नीति विषयक प्रपत्र के रूप में प्रकाशित हो।
				(दो) किसी भी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में अध्यापन का दस वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो, एव/ अथव विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में/ उद्योगों में अनुभव हो; जिसमें पीएच.डी. स्तर पर कर रहे शोध छात्र को दिशानिर्देश करने का अनुभव भी सम्मिलित हो ।
				(तीन) शैक्षणिक नवोन्मेष, नवीन पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्र तथा प्रौद्योगिको—माध्ययुक्त अव्यापन प्रशिक्षण प्रक्रिया र विस्तार।
		- '		(चार) न्यूनतम समेकित एपीआई स्कोर, जैसा कि प्रदर्शन अधारित मृल्यांकन प्रणाली (पीबीएएस) के आधार प शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निर्दिष्ट हैं, जिसे शासन हारा पृथक से अधिसूचना हारा जारी की जायेगी
				अधवा
				ब. (ख) उत्कृष्ट व्यावसायिक व्यक्ति, जिसकी अपन् सापेक्ष कार्य क्षेत्र में विद्यमान प्रतिष्ठा हो तथा जिसन् संबंधित/सम्बद्ध/सुसंगत विषय के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान किया हो तथा जिसका प्रमाणीकरण प्रत्यायको द्वार किया जाए।
2.	सहः प्राध्यापक	29 वर्ष	43 वर्ष	(एक) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ संबंधित विषय में पी एच.डी. की उपाधि।
				(दो) किसी भी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में अध्याप- का दस वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो, एवं/ अथव विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में/ उद्योग में अनुभव हो; जिसमें पीएच.डी, स्तर पर कर रहे शोध छात्रों को दिशानिर्देश करने का अनुभव भी सम्मिलित हो। कम से कम पांच रचनायें, पुस्तकों एवं/अथव शोध/विषय से जुड़ी नीति विषयक प्रमत्र के रूप में प्रकाशित हो।
				(तीन) शैक्षणिक नवोन्मेष, नवीन पाठ्यवर्यो एवं पाठ्यक्र तथा प्रौद्योगिकी—माध्ययुक्त अध्यापन एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया व विस्तार।

				(चार) न्यूनतम समैकित एपीआई स्कोर, जैसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएएस) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निर्दिष्ट हैं, जिसे शासन द्वारा पृथक से अधिसूचना द्वारा जारी की जायेगी।
3.	सहायक प्राध्यापक	21 वर्ष	30 वर्ष	 (क) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ किसी भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि स्तर में संबंधित विश्वय में कम से कम 55% अंक (अथवा/एवं 7 बिन्दू ग्रेडिंग पद्धित में ग्रेड "बी") अथवा किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समक्ष्य उपाधि । (ख) उपरोक्त अर्डताओं की पूर्ति करने के बाद मी, अभ्यर्थी को यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्याधित (मान्यता प्राप्त) समतुल्य परीक्षा जैसे कि स्लेट/सेट उत्तीर्ण करना होगा। (ग) उप—खण्ड (क) तथा (ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.किल/पीएच. डी. प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम. 2009 के अनुसार पीएच.डी. उपाधि हो या जिन्हें प्रदान की गई हो, को सहायक प्राध्यापक या उसके समतुल्य पद में मर्ती तथा नियुक्ति के लिये नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट रहेगी । (घ) ऐसे विषयों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसके लिये नेट/स्लेट /सेट परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है, के लिये नेट/स्लेट/सेट दी अनिवार्यता नहीं हो जाती है, के लिये नेट/स्लेट/सेट की अनिवार्यता नहीं की जाती है, के लिये नेट/स्लेट/सेट की अनिवार्यता नहीं हो जाती है.
4.	क्रीडा अधिकारी	21 वर्ष	30 वर्ष	(क) कम से कम 55 प्रतिशत अंको के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा खेलकूव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री (अथवा समतुल्य डिग्री अथवा यूजीसी 7 पाइंट स्केल में श्रेणी "बी") तथा अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड हो।
		-		(ख) अन्तर-विश्वविद्यालय/अन्तर-महाविद्यालयीन प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय और/ या राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्य का रिकार्ड हो।
				(म) राष्ट्रीय रतर की परीक्षा जो इस उददेश्य से यू.जी. सी. द्वारा अथवा अन्य किसी अभिकरण द्वारा जो कि यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित हो, आयोजित की गई हो, में अर्ड हो।
				(घ) इन नियमों के अनुसार संचालित शारीरिक क्षमता परीक्षा में उत्तरीर्ण हो ।
				(ड.) तथापि, ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. प्रदान करने केलिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. उपाधि हो या प्रदान की गई हो, को खेल अधिकारी या उसके समतुल्य पद में भर्ती तथा नियुक्ति के लिए नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता की शर्तों की अनिवार्यता से छूट रहेगी।

		T		(च) शारीरिक दक्षता परीक्षा संबंधी मापदण्ड :-
				(एक) चपरोक्त प्रावधानों के अध्यधीन, ऐसे समस्त अभ्यर्थी, जिनके लिये शारीरिक दक्षता परीक्षा में चपस्थित होना अनिवार्य होता है, के द्वारा ऐसे परीक्षाओं में उपस्थित होने से पूर्व ऐसी विकित्तीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होना जिसमें सत्यापित होगा कि वह चिकित्सीय रूप से स्वस्थ है। (यो) उपरोक्त उप—खण्ड (एक) के अंतर्गत ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर नीचे दिये गये मापदण्डों के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक रक्षमता परीक्षा देना होगाः —
				पुरूषी के लिए मापदण्ड
				12 मिनट की दौड़/चाल की परीक्षा
				30 वर्ष तक 40 वर्ष तक 45 वर्ष तक 50 वर्ष तक
				1800 मीटर 1500 मीटर 1200 मीटर 800 मीटर
				महिलाओं के लिए मापवण्ड
				8 मिनट की दौड/चाल की परीक्षा
				30 वर्ष तक 40 वर्ष तक 45 वर्ष तक 80 वर्ष तक
				1000 मीटर 800 मीटर 800 मीटर 400 मीटर
				(एक) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अर्ड अभ्यर्थियों के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षा, छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित ∕ नामांकित विभाग या एजेन्सी द्वारा लिया जायेगा । (दो) शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनई अभ्यर्थी, चयन प्रकिया वो लिये अपात्र होंगे ।
5.	ग्रंथपाल	21 वर्ष	30 वर्ष	(1) पुस्तकालय विज्ञान/सूधना विज्ञान/ डाकुमेंटेशन विज्ञान में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अध्या ऐसी समतुल्य व्यावसायिक उपाधि (अध्या जहां ग्रेडिंग प्रद्वित लागू है पाइन्ट स्केल में समतुल्य ग्रेड अध्या यूजीसी अध्या राज्य शासन द्वारा अधिसूधित समतुल्य व्यवसायिक उपाधि तथा पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण का ज्ञान एवं अध्या शीक्षणिक रिकार्ज हो । शीप — (1) अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ दिव्यांग (शारीरिक एवं दृष्टिबाधित दिव्यांग)/ अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये स्मातक एवं स्मातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट की प्रदान की जायेगी, 55

(2) यूजीसी अधवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था (एजेंसी) द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अथवा सेट/स्लेट परीक्षा पुस्तकालय विज्ञान में अर्ह हो।

(3) तथापि, ऐसे अम्यर्थी, जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. उपाधि हो या प्रदान की गई हो. की ग्रंथपाल या उसके समतुल्य पद में भर्ती तथा नियुवित के लिए नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता की शर्तों की अनिवार्यता से छूट एहेगी।

टीप— सहायक प्राध्यापक/क्रीडाचिकारी/ग्रंथपाल के लिये :--

- (1) ये अम्यर्थी, जो दिनांक 11 जुलाई, 2009 के पूर्व सहायक प्राच्यापक/क्रीडाधिकारी/ ग्रंथपाल पद के लिये एम.फिल./पीएच.डी. हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत है, उपाधि प्रदान करने वाले संबंधित संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों द्वारा शासित होंगे। पीएच.डी. उपाधि धारक अम्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यदीन न्यूनतम पात्रता शर्तों से छुट प्राप्त होंगी:
 - (क) अभ्यर्थी को कंवल नियमित पद्धति से पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गई हो;
 - (ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मृत्यांकन किया गया हो;
 - (ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों (जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो);
 - (घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्टियों / सम्मेलनों में प्रस्तृत किए डॉ.
 - (७) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो ।

उपर्युक्त (क) से (इ.) को कुलपित / प्रति–कुलपित / संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/ संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना बाहिए।

- (2) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड से अभिप्रेत हैं: (एक) स्मातक (अन्डर ग्रेजुएट)— म्यूनतम 50%
- (3) यू.जी.सी. की परिवर्तन तालिका के अनुसार, प्रतिशत अंकों को निम्नानुसार परिवर्तित किया जायेगा:-

श्रेणी	श्रेणी बिन्दु (पाईंट)	समतुख्य प्रतिशत
,O,	5.50 - 6.00	75 - 100
'A'	4.50 - 5.49	65 - 74
'B'	3.50 - 4.49	55 - 64
C	2.50 - 3.49	45 - 54
D'	1.50 - 2.49	35 - 44
'E'	0.50 - 1.49	25 - 34
·F	0.00 - 0.49	00 - 24

(4) (एक) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ दिव्यांगजन तथा दृष्टिहीन व्यक्ति/अन्य पिछडा वर्ग (गैर-कीमी-लेयर) के संवर्ग के व्यक्तियों की शिक्षण संबंधी पदों पर सीधी भर्ती के दौरान उनके पात्रता एवं अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के निर्धारण के उद्देश्य से स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर ह- की छूट प्रदान की जा सकेगी । पात्रता के लिए 55- अंक (अथ्या जहां कहीं ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहा पर "पाइंट स्केल" की समकक्ष श्रेणी) तथा उपरोक्त उहिलखित संवर्गों के तिये 5 की छूट, किसी अनुग्रह अंक के सम्मिलित करने की प्रक्रिया के बिना, कंवल अर्हकारी अंकों पर आधारित एडेगी । (दों) ऐसे पीएच.डी. उपाधि धारक, जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितम्बर 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली हो, के अंकों में 5 की छूट प्रदान की जायेगी जो कि 55 से 50 तक होगी।
(तीन) जहां पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा येडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो, वहां संबंधित श्रेणी, जो 55 के यथा समतुल्य मानी गई हो, पात्रता समझी जायेगी।

टिप्पणी :-

(1) सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के पश्चात् "अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष" के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपन्न क. एफ 3-2/2002/1-3, रायपुर दिनांक 16.08.2008 के निर्बंधन, प्राध्यापकों एवं सह प्राध्यापकों के पद पर सीधी गर्ती के लिए लागू नहीं होंगे।

(2) अनुसूयी—तीन के कॉलम (5) के अंतर्गत प्राध्यापक/उप संचालक एवं सह प्राध्यापक, उच्च शिक्षा के पदों के लिए उच्चतर आयु सीमा निम्नानुसार होगी :--

स.क.	प्रवर्ग	उच्चतर आयु सीमा			
		प्राध्यापक	सह प्राध्यापक		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	पुरुष (अनारक्षित)	45 वर्ष	43 वर्ष		
2.	पुरुष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/दिव्यांग)	50 वर्ष	48 वर्ष		
3.	महिला (अनारक्षित)	55 वर्ष	53 वर्ष		
4.	महिला (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/दिव्यांग)	60 वर्ष	58 वर्ष		
5.	विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा (आरक्षित / अनारक्षित प्रवर्ग)	60 वर्ष	58 वर्ष		

(3) प्राध्यापकों एवं सह प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए, इन नियमों में विनिर्दिष्ट विमिन्न प्रकार की छूटों का लाम लेने के पश्चात् उच्चतर आयु सीमा क्रमश: 60 वर्ष एवं 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) ऐसे अन्धर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी है के लिए, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी ।

अनुसूची—चार

(नियम 14 एवं 15 देखिये)

т, аб.	पद का नाम जिससे पदोन्ति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए सेवा अनुभव की न्यूनतम अवधि	चयन समिति/विमागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	प्राचार्य उपाधि महाविद्यालय, संयुक्त संचालक तथा राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना	प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा अतिरिक्त संचालक, उच्य शिक्षा	स्नातकोस्तर महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर पर्दोन्नित, स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्यों में से उन प्राचार्यों की, उपाधि महाविद्यालय सवर्ग की संयुक्त ज्येष्ठता सूची के आधार पर की जायेगी, जिन्हें प्राचार्य के पद का कम से कम दो वर्ष का अनुभय हो। पदोन्नित, योग्यता—सह-ज्येष्ठता के आधार पर होंगी। परन्तु अनुभव की शर्त उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगी जिनको भाम पर ज्येष्ठता होते हुए भी पूर्वतर पदोन्नितयों के समय विचार नहीं हो सका।	(t) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई सदस्य -अध्यक्ष (2) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा -सदस्य (3) आयुक्त, उच्च शिक्षा-सदस्य	
2.	प्राच्यापक तथा उप संचालक, उच्च शिक्षा	प्राचार्य स्नातक महाविधालय, संयुक्त संघालक, उच्च शिक्षा तथा राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना	स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर पदोन्नति, कन से कम दो वर्ष का अनुभव रखने वाले प्राध्यापकों में से योग्यता—सह—ज्यादता के आधार पर की जायेगी। विभागीय पदोन्नति समिति, प्राधार्य के पद पर पदोन्नति के लिए सीधी भर्ती के प्राध्यापकों तथा पदोन्नत हुए प्राध्यापकों तथा पदोन्नत हुए प्राध्यापकों तथा पदोन्नत हुए प्राध्यापकों की ज्येष्ठता सूचियां अलग—अलग तैयार करेगी। इन सूचियों में से प्राध्यापकों का 25 प्रतिशत एवं पदोन्नत प्राध्यापकों का 75 प्रतिशत होगा। पदोन्नत प्राध्यापकों का 75 प्रतिशत होगा। पदोन्नत प्राध्यापकों का उपेष्ठता खूची उनके सहायक प्राध्यापक के पद पर वरिष्ठता के आधार पर बनाई जायेगी। सीधी भर्ती के प्राध्यापकों की ज्येष्ठता के साथ पर वरिष्ठता के साथ अथाग से जारी चयन सूची में दशांथ गये ज्येष्ठता क्रम के आधार पर होगी।	तदैव	
3.	सह-प्राध्यापक	पदोन्नत प्राच्यामक/चप संघालक	चन सह-प्राध्यापक को, 37,400-67,000 + ए.जी.पी. 10,000 के वेतनमान वाले प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति की पाञ्चता होगी, जिन्होंने :-	त्तवैव	

			(क) सह प्राच्यापक के रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ख) न्यूनतम समेकित ए.पी.आई. स्कोर जैसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन सूवकांक (ए.पी.आई.) में निर्दिष्ट हैं, जिसे कि शासन द्वारा पृथक से अधिसूचना द्वारा जारी की जायेगी। (ग) कार्य निष्पादन संबंधी विगत 05 वर्षों का मूल्यांकन रिपार्ट निरंतर बहुत अध्धी हो।		
4.	सहायक प्राच्यापक	सह-प्राध्यापक	तन सहायक प्राध्यापक को, 37,400-67,000 + ए.जी.पी. 9,000 के वेतनमान वाले सह प्राध्यापक के पद पर पर्वोग्नितों की पावता होगी, जिन्होंने:- (क) सहायक प्राध्यापक के रूप में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर सी हो। (ख) वेतनमान 37,400-67,000 + ए.जी.पी. 9,000 के वेतनमान में कम से कम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ग) न्यूनतम समेकित ए.पी.आई. स्कोर जैसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निर्दिष्ट है, जिसे कि शासन हारा पृथक से अधिसूचना हारा जारी की जावेगी। (घ) कार्य निष्पादन संबंधी विगत	त्तदेव	अनुमय पर्व योग्यता जो कि अनुसूची— चार वे कॉलम (a) में उल्लेखित है, के आधार पर, सहायव प्राच्यापक की पर्योग्निक्ति योग्निक्ति के पर्योग्निक्ति के पर्योग्निक्ति के पर्योग्निक्ति की पर्योग्निक्ति

टिप्पणी :--

- (1) सहायक ग्रंथपाल के पद, डाइंग काडर के है तथा ये पद समाप्त होने वाले पद है। अतः उपर्युक्तानुसार, इन पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की पदोन्नित के पश्चात, भविष्य में ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नितयां नहीं होंगी।
- (2) सहायक प्राध्यापक, क्रीडा अधिकारी तथा ग्रंथपाल को ज्येष्ठ वेतनमान तथा प्रवरश्रेणी वेतनमान प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करनी होगी:—
 - (क) ज्येष्ठ वेतनमान हेतु— सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीडा अधिकारी को, 15600—39100 के वेतनमान में ग्रेड वेतन 7000 के ज्येष्ठ वेतनमान में पदांकन किया जायेगा, यदि उसने :--
 - (एक) नियमित नियुक्ति के पश्चात् 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। यदि वह पी.एचडी अथवा एम.फिल धारक हो तो सेवा काल क्रमशः 4 एवं 5 वर्ष पूर्ण कर ली हो;
 - (दो) यदि वे पीएबडी धारक है तो एक ओरिएन्टेशन एवं अन्य के लिये एक ओरिएन्टेशन एवं एक रिफेंशर कार्स जो गुणवत्ता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्दिष्ट मापदण्डों के समरूप हो,
 - (तीन) जसकी कार्य निष्पादन संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट निरंतर संतोषजनक हो।

- (ख) प्रवर श्रेणी वैतनमान हेतु— ज्येष्ठ वेतनमान में कार्यरत सहायक प्राध्यापक / ग्रंथपाल / क्रीड़ा अधिकारी, प्रवरश्रेणी के वेतनमान में रखे जाने हेतु पात्र होंगे, यदि उसने :--
- (एक) ज्येष्ठ वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो, सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी के रुप में कम से कम 11 वर्ष, पी.एचडी एवं एम.फिल धारक के लिये क्रमशः 9/10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो;
- (दो) ज्येष्ठ वेतनमान में पदांकन के उपरांत दो रिफ्रेशर पाठ्यक्रम / ग्रीम्मकालीन संस्थाओं में जो प्रत्येक लगभग 4 सप्ताह की अविध का हो, भाग लिया हो या वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप समुधित अवतरण शिक्षण कार्यक्रमों से जुड़ा रहा हो; और
- (तीन) उसकी कार्य निष्पादन संबंधी मूल्यांकन निरंतर अच्छी हो।
- (3) ज्येष्ठ वेतनमान तथा प्रवरश्रेणी वेतनमान में पदांकन के लिये छानश्रीन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :--
 - (एक) आयुक्त, उच्च शिक्षा या उसके द्वारा नाम
 - निर्दिष्ट कोई भी अतिरिक्त संचालक संयोजक
 - (दो) उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विनाग (तीन) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का प्राचार्य
 - (आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा नाम निर्दिष्ट) सदस्य
 - (चार) उच्च शिक्षा से संबंधित एक शिक्षाविद सदस्य

छानबीन समिति, सूची में रखे जाने की उपयुक्तता अवधारित करने हेतु समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार छानबीन का कार्य संपादित करेंगी।

सदस्य

नोट :- ज्येष्ठ एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान हेतु यू.जी.सी. एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

अनुसूची—पांच (नियम 17 (1) देखिये) आवेदन का प्रपत्र (सहायक प्राध्यापक/क्रीड़ा अधिकारी/ग्रंथपाल के पद हेतु)

फोटो पासपोर्ट साइज (अनुप्रमाणित)

(शब्दों में) पद के लिये विज्ञापन दिए जाने वाले वर्ष में 1 जनवरी आयु वर्ष माह दिन शैक्षणिक अर्हताएं — मंडल / विश्वविद्यालय वर्ष श्रेणी विषय प्राप्तांक / पूर्णांक (1) (2) (3) (4) (5) ह) हायर सेकेंण्डरी ब) स्नातक ा) स्नातकोत्तर येक के लिए अंकसूची की अनुप्रमाणित प्रति अपेक्षित है। यदि एम.फिल / पी.एच.डी. उपाधि दी गई है. तो विषय का उल्लेख करें तथा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें यदि अन्यर्थी अ.जा. / अ.ज.जा, प्रवर्ग का है तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नाम का उल्लेख करें तथा सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र संलग्न करें यदि अन्यर्थी पूर्व से ही नियोजित हो तो अपना पदनाम, संस्था का नाम तथा विभाग का नाम दर्शित करें					
्राज्यों में) (शब्दों में) (शव्दों में) (शव	विषय	- 60			
(शब्दों में) पद के लिये विज्ञापन दिए जाने वाले वर्ष में 1 जनवरी आयु वर्ष माह दिन		=			
आयु वर्ष माह दिन					
्रशैक्षणिक अर्हताएं :— मंडल / विश्वविद्यालय वर्ष श्रेणी विषय प्राप्तांक / पूर्णांक (1) (2) (3) (4) (5) क) हायर सेकेण्डरी ख) स्नातक ग) स्नातकोत्तर थेक के लिए अंकसूची की अनुप्रमाणित प्रति अपेक्षित है। यदि एम फिल / पी.एच.डी. उपाधि दी गई है, तो विषय का उल्लेख करें तथा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें यदि अन्यर्थी अ.जा. / अ.ज.जा. प्रवर्ग का है तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नाम का उल्लेख करें तथा सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र संलग्न करें यदि अन्यर्थी पूर्व से ही नियोजित हो तो अपना पदनाम, संस्था का नाम तथा विभाग का नाम दर्शित करें					
(1) (2) (3) (4) (5) ह) हायर सेकेण्डरी ख) स्नातक ग) स्नातकोत्तर येक के लिए अंकसूची की अनुप्रमाणित प्रति अपेक्षित है। यदि एम फिल / पी.एच.डी. उपाधि दी गई है, तो विषय का उल्लेख करें तथा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें यदि अन्यर्थी अ.जा. / अ.ज.जा, प्रवर्ग का है तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नाम का उल्लेख करें तथा सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र संलग्न करें यदि अन्यर्थी पूर्व से ही नियोजित हो तो अपना पदनाम, संस्था का नाम तथा विभाग का नाम दर्शित करें	आयु वर्ष . शैक्षणिक अर्हताएं :		माह		दिन
क) हायर सेकेण्डरी ख) स्नातक ग) स्नातकंतर चेक के लिए अंकसूची की अनुप्रमाणित प्रति अपेक्षित है। यदि एम फिल / पी.एच.डी. उपाधि दी गई है, तो विषय का उल्लेख करें तथा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें यदि अन्यर्थी अ.जा. / अ.ज.जा. प्रवर्ग का है तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नाम का उल्लेख करें तथा सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र संलग्न करें यदि अन्यर्थी पूर्व से ही नियोजित हो तो अपना पदनाम, संस्था का नाम तथा विभाग का नाम दर्शित करें	मंडल / विश्वविद्यालय	वर्ष	श्रेणी	विषय	
खं) स्नातक गं) स्नातकोत्तर थेक के लिए अंकसूची की अनुप्रमाणित प्रति अपेक्षित है। यदि एम.फिल / पी.एच.डी. उपाधि दी गई है. तो विषय का उल्लेख करें तथा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें यदि अम्यर्थी अ.जा. / अ.ज.जा. प्रवर्ग का है तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नाम का उल्लेख करें तथा सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र संलग्न करें यदि अम्यर्थी पूर्व से ही नियोजित हो तो अपना पदनाम, संस्था का नाम तथा विभाग का नाम दर्शित करें	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ग) स्नातकोत्तर येक के लिए अंकसूची की अनुप्रमाणित प्रति अपेक्षित है। यदि एम फिल / पी.एच.डी. उपाधि दी गई है, तो विषय का उल्लेख करें तथा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें यदि अन्यर्थी अ.जा. / अ.ज.जा, प्रवर्ग का है तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नाम का उल्लेख करें तथा सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र संलग्न करें यदि अन्यर्थी पूर्व से ही नियोजित हो तो अपना पदनाम, संस्था का नाम तथा विभाग का नाम दर्शित करें	हायर सेकेण्डरी			5130	
पैक के लिए अंकसूची की अनुप्रमाणित प्रति अपेक्षित है। यदि एम फिल / पी.एच.डी. उपाधि दी गई है, तो विषय का उल्लेख करें तथा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें :	ब) स्नातक				
यदि एम.फिल / पी.एच.डी. उपाधि दी गई है, तो विषय का उल्लेख करें तथा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें यदि अन्यर्थी अ.जा. / अ.ज.जा, प्रवर्ग का है तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नाम का उल्लेख करें तथा सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र संलग्न करें यदि अन्यर्थी पूर्व से ही नियोजित हो तो अपना पदनाम, संस्था का नाम तथा विभाग का नाम दर्शित करें					
अन्य कोई जानकारी, जो अभ्यर्थी देने का इच्छुक :	पेक के लिए अंकसूची की 3	1-310			

Minutes of Meeting(Janbhagidari & sashi-nikay) Date: 17 61 2027 0130 94168 and 3114 Kana 17-01-2024 इगरी निकाय की केंद्र इ0 वाहत आयो जित 10521 समय 11:30 ळजे सदस उपास्येत निम्लि वित डा. आर. रम- विह (राज्य सास्त प्रति रिक् नी नाय-टी साइस बालेज डुरो वी एन मेश्राम (विश्वविद्यालय प्रीत मिद्ध प्राचामः की शास. बी एम. बी ए. पीजी व्यालेन डाग्राग्व डा. हेमलता माहने (शिमाविद् सदस्य) भागारे काम दिग्वनय कालन 21517142119 उद्योगपीत प्रतिनिध निमीय द्या प्रतिशि - श्री वटाउर्अली ए जिल गुप राजनांद्रांव 5. श्रीमती शारदा तिवारी (व्यवसाधी सदस्य आहावकता राजनाद्याव) (प्राध्यापत मदस्य) उाः अजना हाकुर शासन हि विनयं महाविधालय र् जनाद्याद उा शबनम खान (प्राध्मापक सरस्य) र्गास दिग्विजय महाविद्यालय राजनाद्याव उा. ओने ता साहा / 10 मट सभी जक इत्सन दिश्वनय महाविधालय 21-79193119 डा हमन्त साव (उपनिथन्त्रक स्वशासी शासः दिशिवनय महाविद्यालय राजाद्राल GOVT. DIGVIJAY CO SONT DIGNILAY COLLEGE 10: डा॰ कविता सादुर (सहाद निमन्त्रक उाः लोलेन प्रधान आपे (अरा नियम् (सहा नियंशक मैजरी सिंह

बोध्य की प्रायम सभी समापीत संदह्यों के स्वागत स्वश्रासी परीसा प्रकोब्ह साथ किया गया । मिनमेनक डा॰ के. ए॰ द्वामले के डाए सभी सरहमां का स्मागत करते हुए आज के केंडक के अमुल एमंडा जानकारी भी गई। पूर्व में आयो जित लेंडक दिनांक 10.05-2023 DI ME DIE 170/21 उतिवेदन अस्तित करते के पत्रपाता Fram Bos 311 42 Atred wint र्जिटा-०ा- गत वडेक में लिए गए निर्णयों क्षा परिपालन प्रतिवेदन अस्तित विभा गमा जिस्की आउमेरत 1221 3121 प्रमण्डा-02: 2 मिलिस साम 2023-24 में र्स्मातक कि प्रथम एवं त्यीम क्रिस्टर एवं स्मातक (old course) त्रिमा अब में तथा स्मातकोत्तर सम्माम में प्रवेश महाविधालय वेल पारिस के महमम नि दिमा गमा है य्जेव्डा-03: -()पाठ्मकुर्ण कार्गित कार्गित कातव पार्याप के लिए २ पी. मी. पिरलोमा पाठम्यूम की अनुमादन कर में प्रमेश्री अहम्मा मिह्ट के अप इस्ती क्रियां तेक तथा काल वरीमा भी प्राप्ति 2 नाम के साध अतिवास विद्या गया है। प्राप्ति 2 व्यापी 10 छट्टी का टीग्रा (वेसकी वार्षिट, करपेल, an sila sundial stan त्रमा मिलामायार्ग अहमादेश कुमान १५५ (हम्पद् भारत वि. वि. द्री) के अंत्रसार किनस्य परीका दी भागों में आमीरियत हागा । प्रथम भाग संदर्शित परीया जिल्ला करेज ४०% एवं का तिक मुल्याका परिया २०%. राजा अनुमित विद्यापियां का मुल्याका बेन्स का के ही रोजा। अति प्रकृत प्रमान अतिशात यहा. होगा

हिन्दा वि. कि. के पत्रक्राक पप 8/ परीक्षा 2017- दुर्ग हिन्दा 1910में 2017 के अदुला हा विद्यालय के हिन्दा (old Causse) (ट्रीय क्ये का कि निम्नेच हिन्दा , इतिये प्रकार अहा विद्यालय में 61d Cause) की दुर्गा के जोड़ा जाना है नियं का का विद्यालय परीका के येक के जोड़ा जाना है नियं का का का प्रकार का क्रिका कि. तथा फुल्प वरीकी का प्रका निं। रहेगा। जी विद्यापी क्रिया कि ही होगा। सुल्माका केवल नि प्रतिशत के ही होगा। का आहोकात के प्रतिशत के प्रतिक प्रका प्रति प्रति के आहोक्षतम कांच वहीं होंगे जो मुस्म गरी में 3 Alora 9 A21 A 334 E1011, 1, 1 347 PUN FIM 2023-24 M M M 7 MIGH MYESIN सल २०23-24 रे. महाविद्यालम का पाठ्यक्रम प्राप्त किया गमारी जिसम देल का तीर होगी। यह पार्येषया NEP 2020 के कार्यात से में चालित होगी पार्वे मुक्स रम्पद भादव चिक्र विद्यालय के अहमादेश July (FYUGP Under NEP 2020) क नियमा के अनुसार सन्या कित दिया J118711 रजेल्डा ०५: - पूरीया समिति के अस्तार्थों ना समस्त परीक्षा आवेदन पत्र (ए.ज., १.ज.) ऑनलाईन माहमण से महाविद्यालय के पोर्टल से भरे जाएंगे। सल २०२३-२५ में FYUGI (OUSE के स्वात के प्राप्त के अले जाती के अले 2023-24 & Fry 1991 Carpe a folder (जिथम किंग्स्टर के त्यांचे किंगस्टर) के

सेमेल्टर परीका के अरु पकों के आकृप के असार कि होंगे।

प्रमाण — 150, 556, जिल्ली मिल्टर के क्रम्स अरु प्रमाण ।

(क्रमेल्टर सरी करी) के तीन जिल्हों के लिया जाएगा।

प्रकार के (क्रियू करी) के तीन जिल्हा के लिया जाएगा।

प्रकार के (क्रियू करी) एवं ज्वा कर के की अरू रहेंगे

जो कि स्निन्नार्थ होंगे तथा प्रमेक इकार के ज्वा होंगे।

प्रेंगे । प्रसेक कर के प्रकार के कि का आवधान होंगा।

कि स्निन्नार्थ होंगे तथा के कि का आवधान होंगा।

कि स्निय के प्रसेक अरूनों में विकल्प का आवधान होंगा।

कि स्निय के प्रसेक अरूनों में विकल्प का आवधान होंगा।

कि स्निय के प्रसेक अरूनों में विकल्प का आवधान होंगा।

कि स्निया के से कीर्र 05 प्रश्नों की हल कि प्रश्न कि होंगे।

किस्मा गया है। प्रश्न पत्र के कुल विद्या प्रमे

				_
	<u> स</u> ीक्शन	DSC, DSE, GE	AECC	
	Ascobian	80 3jas	403/2	
	A section	278=16	1×8=8	
371 - 1 4	Bsection	6×4=24	3×4=12	
1.4	c Section	10×4=40	SX4=20	13
The state of the s	Total Marks	80	40	
	14648	The thirt but the		
				-

(ए) सल २०२३-२५ में ६५०जि१ (उप्लिड्स के स्मानकार)

(प्रथम समस्टर से प्राप्त समस्टर तक) के सभी कारी

के उगानारी के सुरुपाव्यन दी भागी में लिए जाएगे।


प्रथम - कलास टेस्ट (ट्न) - जिल्म दी दकार से प्रमा

प्रदेश जाएगे, प्रभापना का प्रारुप मुख्य प्रभा पत्र

के अनुरुप होगा।

0				
संम्रान	DSC, DSE,	GE	1 AE	ce
140	बलास टेस्ट	असर्थनमेंट	क्रनास टेस्ट	अभारतमंट
A Section	2×1=2	2×1=2	2×==1	2× = 1
B Section	2×2=4	2×274		27 1-2
C Section	1x4= 4	184 = 4	11×2=2	1x2=2
Total Marks	10	10	5	5

	C	1 2020	Id FYUGIP an
73	निय - असारेन भेट	(Assignment) - Into	Assignment of
	पुधम के च	जिसमें पूरे चार इकार	2 320
	पावधान है	निसमें पूर्नार इन्यार	Modula
7	ने विभा	जाएगा जिसमा 9	120 Ben 759
A ABAGA	74	५३५ होगा	
		DSC, DSE, GE	AECC
PG . C.045	20021丁		403100
	The second second section	80 ma	128 = 8
AMAGE	A seen'an	2×8=16	3×4=12
80.10	Bsection	6×4=24	5×4=20
-	c section	10×4 = 40	
Rest	Total Marks	80	40
(1)	CT (class To	四 数e Hian 「以入」 「 1 3 mest) - 20 3 mest	45) E1211 (121) 45) E1211 (121) 45) E1211 (121)
		2	D
	Total Ma	eoks 2	.0



स्मातक दिनीम वर्ष (old Gurre) की कार्पक भूतपूर्व रवे खुपर साली के विद्याधियों के लिए अंतिम बार परीक्षा भी आनेभी । इस परीक्षा में महिन्न के कि कार्य अंदिन के कि अंदिन के कि अंदिन के कि अंदिन के कि में उनके लिए परीमा कायीजित नहीं की जाएती कार्य कि कार्य निर्मा कार्य के कार्य निर्मा कार्य के कार्य निर्मा कार्य कार्य कि सल 2023-24 में कार्र निर्माप्र नमार संचारता नहीं होंगी अधार मेरे विद्यार्थी मिए यह क्षित्र क्ष्मा परीका होती रमातक त्तीय वर्ष में सम 2023 -24 में अंतिम बार निमितित कुरार संचालित ही रही है, सन की परीरंग में सल 2023-24 के अनुती । या खुप (काली के विद्याधीयों की अंतिम क्षेत्रा दिया आएगा पश्चात नाणिक परने पर काद्यारित पुराना कार्स वित्ती भी अमार नियामित अह्यापन नहीं प्र - रमानक रूपर पर दिनीय वर्ष (भूतपूर्व) एवं त्री. वर्ष (ठाव Gurse) के विद्यार्थियों हेतू पुनर्मुख्या कन एवं पुनर्गणा की पात्रता निमित्र विद्यार्थी तथा मृतपूर्व विद्यार्थी हैत होगी। पूरक विद्यार्थी पर यह नियम लागू नहीं होगा तथा भूतपूर्व परीमधियों की ही होगी । स्टीकेटी परीक्षाधियों पर यह नियम लागू नहीं प्राप्त- अत्र 2023-24 में रूपातक त्रतीय वर्ष की परीमा में अंग्रिस मुत्याक्त का अवधान होगा, निसमें अंग्रिक मुल्याकन का आदीमार् १०%, तथा मुख्य परीक्षा का आदीमार पत्र के आह्मकतम अंक वही होंगे जो मुख्य परीक्षा में मिद्यारित है। उसते नियम सात्र 2023-24 में 99192 M ZZIT

प्राप - सन्न 2023-24 में FYUGIP (ourse के स्ताल में (प्रथम स्मेम्स्टर के जातूर्य किमेस्टर तके) क्रांतलक दितीय वर्ष (मूल्कर्व एवं युप (माल)) त्तीय वर्ष के मंत्री अकार के जाति के स्वांति वर्ष के मंत्री के स्वांति के मंत्री अकार के जाति के स्वांति के स्वंति के स्वांति के स

XII - सत्र २०२३-२५ में महाविद्यालया में बी-लिख. अन्द्रेयस्की.

की नई कोर्स प्रारंत्र की गई है, उक्त कोर्स की ममस्त गानि विद्या परीगाएँ NEP 2020 के उन्तरात के मस्त प्रदेश में में न्याकित करीन की निर्णय लिया गया है अन्य स्नातक कोर्स की तरह अह भी 22 के डिट की कोर्स होगा जिलमें DSC, DSE, SEC एवं AECC से मंबंदित कोर्स होंगे शीम जियानकी मिण प्रदेश के अन्यादेश क्रमीक 144 पर जारगोरित होंगी

प्रा - चुंकि FYUGP पाठ्यक्रम में प्रदेश के देवल 08
रवशासी महाविद्यालयां में संन्या नित की जा रही है,
और यह पाठ्यक्रम शेख अन्य महाविद्यालयां के
पाठ्यक्र या प्रश्त अलग है. क्रिक्त पाठ्य प्रश्तिक एवं
सर्व पुरुक्त भी प्रश्ति महाविद्यालयां के
जाह प्रापकों से प्रथ्न पन्न की में ये कराने के प्रथम
पन्नों की गुगवला देव सुरुपालय के गुगवला में अतर् अत एवं प्रश्निक प्रश्तिक में रेसे परीस्त्रकों से जहां
प्रव में एहि 2020 लाग्न ही उन जाह्यापकों को
जावालका देने एवं 10 प्रतिशत तक की कार्यकों की
प्रश्न पन्नों की सेरिंग क्रांत्रिक स्तर पर महाविद्यालय
के प्राह्मापकों जार क्रांर जान का प्रस्ताव रखा ग्राह्मा XVIII - ENICH AREZZ GRAT À SEC EN VAC मार्थ प्रथम प्रथम की उठ असिशास में रिंग तथा मूल्याकतः स्थानीय स्तर पूर् महाविद्यालय जाहमापकी द्वार कार जान की अस्ताव रखा गमा ह XVIII - FVUGIP MENICOT _ & MIG 144 Ka 48/21 Harman Rules & Regulations Enris Exam Ordehance as विभा जाएगा तथा 41 214-1 SILL KINY 6714 41 Ulland Chall stroll Bhall केमा जाएगा र्जेडा-05 (क) बित रामाने के प्रतावों का अनु मादन मात्र 2023-24 के परीका शक्त में तिमा दुसार परीवतन निया गामा है। पाउ प्रवामां का परीका शब्द निमानुसार होगा -2022-23 512 Jed 打艺州色门入了西山 50 3×11 B. sc. II year 1. 1080 = 00 1180 - 00 B. Sc. # sem. exam 1080 = 00 1100 = 00 2. 3, 1080 = 50 B Com. Ty year 1180 = 00 1100 = 00 B. Com. Sem. Exam 1080 = 00 B.A. TI Year 1180 - 00 1080 = 00 5. B. A. Sem. Exam 6. 1080=00 1100 = 00 DCA Per Exam 7. 1230 - 00 1350 = 00 M.Sc. Per Exam 8 1200 = 00 1080=00 M.A. Geography Finel year 1200-00 1080 - 00 PGDCA Per Exam 1350 200 10 1230 = 00 M. A. Per Exam 1100 = 00 1030=00 1). 12. M. com- fer Exam 1100 - 00 1030=00 III year B. C. A. 13 1630=00 1630-00 14. B.C.A. Sem Exam 1630 = 00 1630-00 M. Sc. (computer science) Her sem. 1430 =00 1500 - 00 15, M.s. W. Per sem 1230 = 00 1230-00 16.

		I	
17.	P.G. Diploma MyoGH Persem	1230=00	1230=50
18.	PG Diploma in Financial Accounting in	ally- 1230=00	1320=00
19.	B. Lib. 1s. Sem. Exam		-
11,	1310		
नीरा		2 00	~
A. 250 15	- 402 VIL / 91300 42/2	मा हतु भीते वि	ाडाया १०१०
20	पर (अपने क्रप्र) शत शती	िताक प्रशिक्षण वे	me me
7	and that show a chalping		
- 9.	स्मातकी सर के विसी भी विषय	न में भादे मेज	(अ)जेक्ट
~ ~	। अन्याम है ती उसका लिए	allar 2300 3	7 240,006.
47	दी भी चालीक फं) का कामिरिव	d 2104 321	ETOIT MUIT
	सभी एड ऑन के सिकी परीक्ष	। शत्व वाजिव	\$ 00 530 = UD
	(पांच सी कपए किर्दारित कि	17 2121 2	3
	रकालक ल्या रकातकोत्तर के लि	A Gard Sign	GETTLA.
3,	कार्यम विशि में आगामी रिक	19(1) 3 -3	TO (0) (4) 4)
	3014W 14181 H 311911 Kg	ACHIE HAD Z	51 LW)
	केपए) तथा उत्तव प्रमात ड	100-10 (4174 a	31 mm C
	प्रति रिवस है। गा		
4.	Yaan तथा ATKT का वरीका व	764,840=10 y	116 (.2012 70)
A fine and	2048) ZEDIT	, , , , ,	12
5-	प्रीव्हीजनल उपादि शुल्क 500	- 00 (पाय सा	3012) E1011 1
	र वार्य के विसी भी कार्य भ	214 51 345	m1 419E11
	है ती उसके परीका राज्य में	240/- (414)	न्यालीस कपर)
	200 Ray 2100 321 212111		
1.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 jach 20 = 00	(वर्षकपष्ट)
	Juplicate MarkSheet	की द्यालक पूर्व	1911 200-10
	(दी सी कपर) ही रहेगा।		
- D &	1031-05 (2)		
	DA 22 201 D-2	miter 2 ter	1:5+2023-24
	Minor Research Proje	ect Janction	CX12023 01
नि	म स्वीमीत की बेठकु दिनाक 11.0	8.2023 ài A	V STE AND
7	न निम्निन प्राह्मापको / महामक प्र	ग्रहमापकी / आ	afer cuitounal
	म् द्वार श्राद्य श्रियानल का वि	ARIEL NEIGH	2 312
X	परीमग । प्रक्रिम के उपरा	7 12 0 1	an mysites
1	परिमोजना की स्वशासी मद	2 Para	901 VAMIN
~	पार्टिंग की देन शासी भद	W July 16	-11.

EAT 2010 6 लयु शीय की अलाहा काहीत्यना Sanetin Title Co-twestiga for Pept, Amount Principle investi 5.100 Investigation the Dr. Keshaw Dr. Anita 50000 1. impact on biological Mahishwar Adel of from the biomass & C.G. regions problem & enter Smt. Manjula Dr. Anita Sang English 20,000/preneur and Soni role of district industry in Rey randgaen district a study दाजनादगान जिल क Poletical Rajkumar 31 नगरीय निकाय में Science Banjare महिला नेत्त्व की Zinani Kar Alalband की कि हममन New Atternative 50,000 Shri yunus Chemistry Shri Vikas for the fermantation Kande Process in the Athenol Production from Saccarum Hicharum and Madhuca Longifolia Extractive Ferment ation.


7		9750)		Date	+
,	Shri Gurpraei	pr. K.L.	Zeology	The same of the sa	1, 50,0
+	Singh Bhatia	Damle, Shri Chiransi	20	Status & Activity pattern of wellown	1
+		pandey		Birds and their threats in near ful	
1				at Rejnandgam	1'6
+	13-13-14			District C.G., A Case study 2 westland Ball	
+	The second second	S. (89 -) /-	harty went	mercany Bris	
0	un pa fax	27:—	A CONTRACTOR	^	
_	Consideration of	alexan A	त्रवाहा कर	ह वर्ष तक होती	n 9
1.	9	1	() ()	A VOSUNJ KINI	A an
2.	THAT INTO	LA DEZ OT ZA	1 21011 L	a Kinie as y	17
	Ter 211/1 4	तिमा विभाग	क्षे जमा व	र्गा क्यान्याम ट	,)
	9	ANDIN	alel h	copy web 4 Sc	jence
3,	journal 100	c core 1	ist in on	n 2 3h 21	Ram
					- 1
	gyz (le	T Leight	प्रकाटि ह	ZIIhalm GVaanu	4
	1(h~ 44	C Regalier	11-40162119	at Acknowled	80
1		प्रवाम है।	~	1,100	
	,	Main E		2012 420 5	
	10	(21121: 42	ILL ENIL /	V V	
4	. 20,000/-	7 11 /		(2017 4 317) d	9
4	· 20,000 -	ी दोन के	Marin	192102 41M14	9
4	- 50,000/- - 51 star 3	ी दोन के	12 et	विश्वाप्य सामार्ग	4
4 5	र्पाट व	3 31 EIZ	प्रयात	खिल संगाधा जन	4
5	अनुमारी	3 31 EIZ	प्रयात	192102 41M14	di di
5	प्राप्ति व प्राप्ति व क्रिक्राति	9417 B)	प्रत्याती जार्टिकी के काहि	पित्राध्य सामात्र पित्र समाधाजन	
5	अनुमारी	3/21 A	Service of mile	Pan Amuina	
5	Ryle a Bygna 6. man y	3/21 A	Service of mile	HARN IST. NA Planta Value (A Paris)	an the
5	त्राज्यस्य पु रिपोर्ट व अनुमति 6. अतिम अ Allowe	21 de	प्रताता र ही जारकी 1 मिन्द्र स	HAN IST. NOT STORY LICAL Value (The Americal American Am	an the
5	प्रिपोर्ट के अनुमानी 6. भारिता अ सीकार में संबंदि	21 - 30 EIL 0 9417 B 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 10	Sance of mile	HAN 15%, NA STO	an the
5	प्रिपोर्ट के अनुमानी 6. भारिता अ सीकार में संबंदि	21 de	Sance of mile	HAN IST. NOT STORY LICAL Value (The Americal American Am	

Date: रिलेखा - 05 (स्व) मिरिट पुल्लाहन साजना वित्र सामिति के बीडक में लिए गए जिल्सि के कित्सार सत्र 2016-17 से सहाविद्यालय में मरिट जित्साहन योजना 23 कि जिल्ला गया है (इस योजना के कन्नागत प्रत्येक परिमा (स्नातक तथा स्वातक निर्मा में सवरिद्य के कि पाने नाल विद्यार्थ को उनका क्रांकी तिर्धा हाल्क ही होट मिलागी। इस मीलग का उद्देश्म महाविद्यालम के पहन नाल विद्यार्थि में के कीच अकाराप्तिक अतिमी शाता की खड़ावा दें इस योजना के नियम के शत निकायकार है। Louis Lat 92 B.A. B.Sc. (Maths), B.Sc. (Bto) B. Com, B. C.A. प्रथम, डिनीम त्रीम एवं न्यंद्रवर्ष समस्य परीका में स्वरिधान केवा पान वाल विद्यार्थों 1. का आले संमहर्द की परीया शुक्क में खुट मिलेंगी स्व B.A. B.Sc. (meths) - B.Sc. (BTO), B. Com-, B.C.M. का प्रतिम वर्ष की वार्षिक परीसा परीसा प्रात्म में अतिम वर्ष के विद्यार्थियों के निए अथम दिलीय व कारिम वर्ष के प्रात्मान्ती का मोभ करते पर निस् स्तर में महाविद्यालय में निसी भी खेलाय में जिला लेने पर अथम क्रिक्टर की परीक्षा रहत्क में खुर सन्तिक अंक अप्त करेंगे उत्हें अगली सेमेंबर परीक्षा की परीक्षा अलक में ध्रूर मिलेगी इस योजना का लाभ केवल उन विद्यार्थियों की (a) विद्यार्थी किली भी वार्षिक मा संमहत् परीका अपन की है। प्रमास में उत्तीर्ग) निद्यार्थी महा विद्यालय की नियमित दात्रहोना-याहिए का अपरेत मही होना न्या हिए। यह योजना सत्र 2023-24 में भी लागू रहेगा


जेल्डा-05 (२व) मेनलक्ष्य पारुमेनर मितिहामा रनेलड्द सारम् तिक कार्यक्रम की शिकारित करने के लिए स्वरणली विभाग ने निविध निया है साल 2019-22 जोत्सास्त राशि में चरिर की गई थी कि जिन निद्यार्थी द्वारा राज्य का अतिकाधित्व दिया है, उन्हें पूर्व में राष्ट्री 2000 रुपए (दी हजार रुपए) में ग्रेडिंद करते हुए 3,000 द्वपए का नगढ़ पुरस्मार सनं प्रशासि पत्र प्रदान करते का निर्णय लिया गमा है। अन्तर्रिक्ट्रीय स्तर पर अतिनि द्याल कर्ते पर 10, हर कप्प (दस हमार रूपए) की राहि। अदान की जाएती। उस्त शिंदलाहन राशि AN 2023-24 In PR A MIDL 2/011 रेसे विद्यार्थी जिन्होंने व्यापिक सास्कृतिक काम्या में अध्य स्थान आप किया है उन्हें पूर्व में (00% (पांच सी क) में शहर करते हुए प्रमार कर), हिलीय स्वाम नाप उठ० के - प्राची ३०० के नेम्साहर बरत हुर 3-E 20 h 2121 200 h (2) Hi h) H 327 3003. (An 27 m) GA 31 A012 रिल्या गया नार्व विलक्ष्य एवं साहकतित गतिविधिय DICHIEN THA HA ZG1031 05 (M) 21146 य दिभीव प्यापी स्वामकात्तर महा विद्यालय के विल सामित के बेडिंक दिलांका 11108 2023 में लिए 47 2023-24 89 शिष्ट निर्धि के अनुसार अति विस्तिमें के लिए राष्ट्री स्वीकृत किया गया

	TE60		
	निभागा	गरि विद्या	(TR) (35)
a,		~ ~ ~ ~	
	यमस्य विभाग	वाषिक अति देन	200/-
1	सिमाल निभाग	दिशिवनयं ज्यारक्षानमाले। टलक्षेट एवं के रियर	5,000/-
ر ع.	रलेसमेंट केल		50,500/-
	9 0	225) दूर (पार्यक्रम में साम मि	20,500/-
4,	भूगोल, द्युतिहास,	(मी नि क्षा के केरेडिटराज्य	उति विभाग
	ज्लानी , बाटनी	में मार्ट जान पर) पाउम्म	31N 19 ND)
		मेहीने के करा	
	अन्य विभाग	हटडी दूर (अंग तिक युन से	10,000/-
5.	3)001 10/01/1	हरी दूर जिले या सभाग	
47.77	for the grown taken	से बाहर जाने पर	
6,	सांस्कृतिक क्रांब	सांस्कृतिक अति शिष्टियां	5000/-
7.	मिटिला हैल	विभिन्न गतिविधियाँ	10,000/-
8,	के प्रोसरी बिल्डिंग	कार्य शाला	10,000/-
0	इच्छुक (छाह्याप्र)	लघुशोद्य जीयीजना	
9,	महा प्राह्मापक)	(10 लघु शोध जियोजनाके)	50,500/-
		10,3	Mr. Menze
10.	समस्त विभागा	दस राव्हीय से मिनार	50,000/-
		0 (0)0	प्राति सेनिनार
11.	समस्त विभाग	तीन अनाराष्ट्रीय लिमनार	1,50,000
	2202 2 2101	411/25	(श्री क्रिकिट
12.	इट्युंक निभाग	(3-5 Ra) 3 10 512211 ml	30,000/-
		(3 3 141) 313 10 314 < 11/6/	अति कार्यशाला
13	सभी निभाग	निस्मार् गानि निस्	2000/-
	٩		~ /
14.	इन्। क्लब	पया वर्षा माति विधियां	10,000/-
15.	IQAC	विभिन्न भाति विश्विया	
		19/09/10/19/19/19	1,00,000/-
16.	समस्त विभाग	Value Added course	10,000/-
177	मानव समाधन प्रमोध	विशिन गति विद्यों	
17.	91019	ועושויי מויי מויי	20,000

	Fage: 8 5	Date Date	
=30	(a) (a)	ग्रानिविधि	21121 (35.)
18.	अत्भेक विभाग	अहममन मेडल की को हता है हिंग।	1000/-
19,	रिकार्य फोट स्मिति	रिकर्ष प्रेंट परिलक्षेत्रान न्यार	30,000/-
20.	अलारिक्रीय एवं यहाँय सेमिनार	प्रस्तित करेत एवं सहभागीया पर अजिरदेशम शुलक देभ हीगा	अग्रिक्त । भ
21.	वियाग नेलव	विश्वित गतिविधियां	5000/-
2.2	व्याचित्रात	Text and Reference book. Publication on Port yichien	10,000/-
23	21610 (a 200)	Lenyal (40 (42319)	14,00,000/-
24.	समात विभाग	5 LCD Projector (with interactive Panel)	6,00,000/-
25.	द्वाराति प्रीमा विभाग	को फेल 1 भी रहेंग होल निर्माण	5,00,000/-
26.	वसाझा हित	35 AD 5.737 M SED	2,50,000/-
27.	स्वशासी परीसा विभाग हेतु लेकाहि की निप्रार्कत	भागद्य पर	20,000/-
नीर 1.	अध्येय जात विशे	धर्मा का अतिवेदन स्वकाली र ट्यानवाद है। जना अपीजक (अस्ताव) महाविधा म में अस्तुत करता फारीनार्ज है	तरीका विभाग लाम दारा प्राप्त



alta and 2023-24 (31.03.2023 to 31.12.2023 व्यथ मद्वार राबि। (क. आम (मदवार) निर्धिंग 3112 2023-24 उत्तरप्रस्तिका 31 मार्च की स्पित (A) 932790 10144491.45 में श्री पुनमूल्यावन एव 421 YA 694531 B) 22800 yasteral 2300 अव्यक्ति प्राक परिमा / 206052 939560 (c) गरीकेरी युक्त परीमाधाने एव अनुपूर्यी दितीय 52300 (D) 11400 3. 9/12 mg 188 5673 व्याज एवं अन्य 210422 4. वरीया पारियानिय 3837403 परीमा श्राल्क 7585500 2. र्येशनरी 69097 3. अन्य आध (२५९) 81200 यात्रा व्यम /स्पीड 185057 विक्या) 4. UIF2 मानदेश (मजदूर) 819585 योग= 4911142 अन्य पारिशामव 45884 प्राह्माप्यों हेतु सीहा 450380 परियोजना विद्याचियी हेत अति थि व्याष्ट्रपान यवं विस्तार् गति बिद्धी सेमीनार, कार्यशाला 178245 परीझा सांपर्वेथर एवं 167088 亚 द्यारी नम्प्यर 254694 चिंदर रिजेम्मर ट्लेसमेंट 1 एकी के पेरिस्टी बिन्डिंग 10000 154744 शैयिनिक अम्रा VI 246832 35-43195 Mnas -44



						-
*	73 /		नियार्थिया	. 2		
1940 6-10-1	Mr. polytolic	I WAR	कातीय व्य			_
7.03 Con Colon	steering steering	1.50			1000	-
		Sh	विस्ता (11/19/8/11	(CLEAN	
		(32)	स्मिनगर,	जर्भशाल)	1200000	
		(ii)	1/1/2	10000	18.3/12.	
S. Martin and 12	Int Marine America		परीका क	01 2011		
4 - 1 - 1 - 18 - 18	See Property	(îi)	1 11	1.	23 5000	
The Asset of	() E) E () E ()	3)-24	एवं मेंटे			
	7 - 1 - 2 x 1 to	(iv)	फाराकापी	J4, 212/22	89000	
		(1)	जिंदर। रो			
	100		Colone 1	mA	22.9	2010
12/01/1		9 . 1	CACINE I	000	1 ~ 1	
Clark Test	(or over or	(N)	व्यपासरी		10000	1
1 A 3 10 1	p112 13 13.	(Vi)	21 माण्य	27001	75000	
	15 mol 2	(vii)	अन्य भाः		250000	
1 100	- 1 145 L	(VI)	044	F. 8011	16443/	
THE GALLERY	1 40 A 24 11		रे लीपीन	Vand.	70000	
		Virio	~ / /	')		g/s
34 34 9 TH	11 2 Fid 10	(xi)		100h	250000	
	TRAIL WILL	(X)	Ponto	1-916	2500000	
	- L V KB		IQAC	10 (1)	100000	
2	*** TO 1	(xi)	7110	SUB SIE	याग -	5414000 =0
The state of the s	116 11681	*		0.5.	A River	9954000=0
माग (आप	104068/2=02		महायोग	(3Mari)		11370000
छोग (अभि)	to the last	Dr.	30 . 1		33,11,25	
9/10/ (3/10/7)	0 2 4 6 9		11/21		A de-	,
		COLE	1776.4	1-1-1-1		
0	10.00 111 10	4060	12:00	317711	प्रमात्री रिय	2023-24)
अर्व भागत अग्रेम (व	7 223-24)-10	7000	= 5.00	9	9954	000=00
अनु भागत आम (स पूर्व कम २०22-23	1210 (1)21 - 6	0453	20,-00	1	- 13 1	1
	30 = 1	6452	2112=00	As Say		7 2

